

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)

रामदयाल पिता हजारी भीणा नि. तलोदा

बनाम

रामा पिता गोपी भीणा नि. तलोदा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 681/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
21.6.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 196/1, 196/6, 197/1, 200/3, 201/2, 231/2, 245/2, 251, 382 कुल कित्ता 9 रकबा 1.2463 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 196/1, 196/6, 197/1, 200/3, 201/2, 231/2, 245/2, 251, 382 कुल कित्ता 9 रकबा 1.2463 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000— रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / सीडर / 2023 / 681 / 2023

दिनांक :- 21. 6 . 2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 681/23 अनवान रामदयाल पिता हजारी मीणा नि. तलोदा बनाम रामा पिता गोपी मीणा, भागुता पिता गोपी मीणा, सकराम पिता गोपी मीणा, रामकरण पिता नाना मीणा, जमना, महादेव पिता नाना मीणा, शिवराज पिता श्रवण मीणा, मुर्ति पिता श्रवण मीणा, कमला पत्नि रामकुमार मीणा नि. तलोदा वगैरह की पत्थरगाडी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 196/1, 196/6, 197/1, 200/3, 201/2, 231/2, 245/2, 251, 382 कुल किता 9 रकबा 1.2463 हैक्टयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगाडी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शावकरगाढ को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगाडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

hu

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (भीलवाडा)